गिरफ्तारी
(Arrest)

*न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

संविधान के **अनुच्छेद 21** के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। **अनुच्छेद 22(1)** में किसी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है, को गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरूद्व नहीं रखा जाएगा या अपनी रूचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। **अनुच्छेद 22(2)** व्यक्ति जिसे गिरफ्तार कर अभिरक्षा में निरूद्व रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्व नहीं रखा जायेगा। **अनुच्छेद 22** में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किसी को गिरफ्तार करते समय चार प्रमुख बातों का ध्यान रखना होगा। **अनुच्छेद 22(3)** कुछ परिस्थितियों में अपवाद है। **अनुच्छेद 22(4) से (6)** में Preventive detention की प्रक्रिया के बारे में है। जिसकी पालना आवश्यक है। **अनुच्छेद 22(7)** के अनुसार ससंद को संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। **अनुच्छेद 20(1)** के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। (2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जायेगा। (3) अभियुक्त को स्वयं अपने विरूद्व साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

इसके अलावा **दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (Criminal Procedure Code, 1973)** जिसमें कुछ संशोधन भी हुए है, के प्रावधानों के अनुसार –

किसी व्यक्ति को 10 आधारों पर **धारा–41** में पुलिस वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। **धारा–42** के अनुसार, जब कोई व्यक्ति पुलिस

अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है और अपना नाम, निवास बताने से इंकार करता है या मिथ्या बताता है तो इसलिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सकें। **धारा–43** के अनुसार कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है या उद्घोषित अपराधी है, तो उसे गिरफ्तार कर सकता है। **धारा–46** यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है लेकिन मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का अभियोग नहीं है, तो मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है। **धारा–49** के अनुसार अनावश्यक अवरोध नहीं किया जायेगा। **धारा–50** के तहत गिरफ्तार किए गये व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जायेगी। **धारा–51** के अनुसार, गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की तलाशी के दौरान अभिगृहित की गई वस्तु की रसीद दी जाएगी और किसी स्त्री की तलाशी में शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी। **धारा–53** में पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा कराई जाती है और **धारा–54** के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति स्वयं की प्रार्थना पर मजिस्ट्रेट के आदेश से चिकित्सा–व्यवसायी से परीक्षा करा सकता है। **धारा–57** के अनुसार गिरफ्तार किए गये व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक निरूद्व नहीं किया जायेगा। **धारा–58** के अनुसार पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को, दी जायेगी। **धारा–59** में पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गये किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंधपत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जायेगा, अन्यथा नहीं। **धारा–169** के अनुसार यदि साक्ष्य अपर्याप्त हो, तब पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ देगा।

पुलिस से संबंधित प्रकरणों में अधिकतर यह देखने में आया है कि मानव अधिकारों के हनन के अधिकांश परिवाद विशेषकर गिरफ्तारी और बन्दीकरण के होते है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी शिकायते मिलती हैं जिसमें कहा जाता हैं कि अन्वेषण के नाम पर बिना अपराध व कारण पुलिस व्यक्ति को परेशान करती है, व थाने में रखती है जबकि अपराध करने वाले के खिलाफ शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस तरह की शिकायत पुलिस थानों में अनाधिकृत रूप से अन्वेषण के नाम पर प्रताडित करने की वजह से जनता का पुलिस पर से भरोसा उठता है, एवं जनता से मित्रतापूर्वक व्यवहार

न होने के कारण उसको अनुसंधान में भी दिक्कत आती है। पीड़ित/संबंधित न्याय से वंचित रह जाता है। इसके साथ ही जनता को पुलिस द्वारा अपनी शक्ति का दुरूपयोग करना दिखता है। जबकि पुलिस का प्रथम कर्तव्य है की सही अन्वेषण कर, दोषी व्यक्तियों के विरूद्व जांच एवं अभियोजन की कार्यवाही करें। इससे वास्तविक अपराधी सजा पाने से न छुटे व पीड़ित/संबंधित को पूर्ण न्याय प्राप्त हो। इससे सुशासन की प्रक्रिया की छवि को धूमिल होने से बचाया जा सकता है। बहुत से कारणों के साथ–साथ मुख्य कारण यह भी है कि पुलिस के अनुसंधान कर्मचारी को विधि व प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान और व्यवहार में समानता न होना है। आयोग का मानना है कि पुलिसकर्मी को कानून के अनुसार व्यवहार में समानता लाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं की बारीकियों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अमल करने की उसकी जिम्मेदारी बनती है। जिससे अपराधी को सजा दिलाकर न्याय दिलाने में सहायक होगी।

गिरफ्तारी से पहले ध्यान में रखने वाली कुछ जरूरी जानकारी

1. किसी व्यक्ति को बिना वांरट गिरफ्तार करने से पूर्व उसके द्वारा कारित अपराध की प्रकृति और उसमें उसकी सहभगिता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
2. संज्ञेय मामले में बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की शक्तियां है, यही शक्तिंया आम जनता में भी निहित है कि अजमानतिय और संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार कर सकते है लेकिन कानूनन शक्ति प्राप्त होने मात्र से ही गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त है कि गिरफ्तारी का युक्तियुक्त औचित्य होना चाहिए। गिरफ्तारी आवश्यक और न्यायानुमत होनी चाहिए।
3. गिरफ्तारी करने से पूर्व व्यक्ति की संदिग्ध, पुनः उपलब्धता, आगे और अपराध किये जाने की संभावना को अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए।
4. अपराधी व्यक्ति की प्रकृति, साक्ष्यों की नष्ट करने अथवा गवाहों को डराने–धमकाने की संभावना को समझना भी महत्वपूर्ण है।
5. गंभीर किस्म के अपराधों जैसे– हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार आदि में अपराधी के फरार हो जाने से रोकने की आवश्यकता के आधार पर गिरफ्तारी।
6. जहाँ अपराध जमानतीय है और अपराधी की पहचान हो जाती है वहां अनावश्यक गिरफ्तारी से बचना चाहिए।

7. गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को अपनी पहचान स्पष्ट रूप से प्रकट करनी चाहिए।

गिरफ्तारी करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

1. पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा, जो गिरफ्तार कर रहा है और जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है, वह व्यक्ति वचन या कर्म से अपने को अभिरक्षा में समर्पित कर देता है तो बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
2. गिरफ्तार किये जाने वाला व्यक्ति बल प्रयोग द्वारा अपनी गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है तो आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चोटें नहीं आनी चाहिए।
3. गिरफ्तार व्यक्ति की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति की न तो परेड़ की जावें और न ही तमाशा बनाया जावे।
4. हथकड़ियों और बेड़ियों को प्रयोग करने से बचा जाए और यदि आवश्यक ही हो, तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों, दिशा–निर्देशों व नियमों की पूर्णपालना की जावे।
5. महिला की गिरफ्तारी में अन्य महिला पुलिस द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए की जानी चाहिए।
6. जहां बच्चों या किशोरों की गिरफ्तारी की जानी हो वहां बल प्रयोग या मारपीट नहीं की जानी चाहिए।
7. डी.के. बसु बनाम पश्चिमी बंगाल व अन्य (AIR 1997, 610/614) में उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में जारी निर्देशें की पूर्ण रूप से पालना की जानी चाहिए।

डी.के. बसु बनाम पश्चिमी बंगाल के प्रकरण में जारी कुछ निर्देश

1. गिरफ्तारी या पूछताछ करते समय पुलिसकर्मी नाम व पदनाम की पट्टी लगाएं।
2. गिरफ्तारी के विवरण पर उसके परिवार या क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए जाएं। गिरफ्तार व्यक्ति के भी हस्ताक्षर हों।
3. व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं उसे रखे जाने के स्थान की परिचित को सूचना दी जाए।
4. गिरफ्तारी की केस डायरी में प्रविष्टि हो।
5. गिरफ्तारी से पूर्व व्यक्ति की चोंटों की जांच।

6. अभिरक्षा में रखे व्यक्ति की प्रत्येक 48 घंटों में चिकित्सा जांच, जो राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा नियुक्त चिकित्सकों के पैनल से कराई जाए।
7. गिरफ्तारी विवरण क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को भेजा जाए।
8. पूछताछ पूर्ण होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को अधिवक्ता से मिलने की इजाजत दें।
9. प्रदेश एवं जिला मुख्यालय पर एक नियंत्रण कक्ष, जहां 12 घंटे के भीतर गिरफ्तारी एवं व्यक्ति के अभिरक्षा स्थान की सूचना हो।

उपरोक्त केस का निर्णय AIR 1997 एस.सी. 610, 618 में दिए दिशा–निर्देशों को पूर्ण रूप से पालन करे जिससे संबंधित अधिकारी/पुलिसकर्मी अनुशात्मक कार्यवाही के अलावा कोर्ट की अवमानना से बच सकें।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए समय–समय पर कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। अनुच्छेद 22 पर कुछ अन्य मुख्य फैसले जैसे–

1. जोगिन्द्र कुमार का केस (1994)4 SCC 260
2. प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन (1983)3 SCC 526=1980 SC 1535
3. सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम असाम राज्य (1995)3 SCC 743=1996 SC 2193 में गिरफ्तारी के सम्बन्ध व हथकडियों/बेडियों के प्रयोग पर कई सिद्वान्त प्रतिपादित किए गए है। उन नियमों का पालन करना जरूरी है।

गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति माननीय मजिस्ट्रेट के सामने लाने पर या पेश होने के समय, या पुलिस द्वारा रिमाण्ड लेने के वक्त कह सकता है कि वो कब से जेल में रहा, व पुलिसकर्मियों द्वारा अमानवीय बर्ताव के बारे में कोर्ट को बता सकता है। इसके अलावा Illegal Detention के खिलाफ गिरफ्तार हुए व्यक्ति का रिश्तेदार/सम्बन्धी उच्च न्याायालय में रिट याचिका Habeas Corpus Petition फाईल कर सकता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली ने भी गिरफ्तारी के संबंध में एक बुकलेट के माध्यम से दिशा–निर्देश जारी किए है, व उनको लागू करने के बारे में भी दिशा–निर्देश दिए है, जो निम्न है–

1. अधिक से अधिकाधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाए और इन्हें प्रत्येक थाने में वितरित किया जाए। इन्हें एक डायरी में शामिल किया जाए और प्रत्येक सिपाही को दिया जाए।

2. प्रेस और संचार माध्यमों में अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। इन्हें प्रत्येक पुलिस स्टेशन के सूचना पट्टों पर एक से अधिक भाषाओं में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।
3. पुलिस एक शिकायत त़ंत्र स्थापित करें, जो उल्लघंन की शिकायतों की तत्काल जांच पड़ताल कर और इस संबंध में निवारक कार्यवाही करें।
4. जिन सूचना पट्टों पर दिशा–निर्देशों प्रदर्शित किए जाएं उन्हीं सूचना पट्टों पर शिकायत निवारण तंत्र का स्थान तथा वहां कैसे पहुचां जाए, इस बारे में भी संकेत दिये जावे व कामकाजी पारदर्शी हो।
5. व्यापक प्रचार के लिए अदालतों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों आदि सहित गैर सरकारी संगठनों और जन संस्थाओं को शामिल किया जाए।
6. इन दिशा–निर्देशों का उल्लघंन करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल जरूरी कार्यवाही की जाए। इसे केवल विभागीय जांच–पडताल तक सीमित न किया जाए, बल्कि इसे आपराधिक तंत्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
7. इन दिशा–निर्देशों के कारगर ढंग से कार्यान्वयन के लिए यह जरूरी है कि पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाए तथा उनको प्रशिक्षित किया जाए।

मानव अधिकारों के प्रति साक्षरता, जागरूकता में निरन्तरता के क्रम में मेरा यह लघु प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक व पुलिसकर्मी को संक्षिप्त में कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी मिलें। इसी क्रम में आयोग मानवाधिकार, लीगल लिट्रेसी व अवेयरनेस की कडी में इस ग्याहंरवी बुकलेट **''गिरफ्तारी''** के माध्यम से जनहित के लिए विधिक् प्रावधानों व प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मुख्य दिशा–निर्देश को लागू करने व प्रचार–प्रसार के लिए प्रकाशित किये जा रहे है।

आशा है उपर्युक्त **''गिरफ्तारी''** के संबंध में कानूनी जानकारी से मानवाधिकार के संरक्षण में सरकारी मशीनरी के साथ–साथ आम जनता के सहयोग व मिडिया की सकारात्मक भूमिका रहेगी व सभी पुलिसकर्मी मानवीय संवेदनशीलता से काम करेंगे। जिससे नागरिकों के मानवाधिकार के हनन को रोकने में मदद मिलेगी।

16.08.2006 ❑ ❑

* अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट। आर-3, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302 005

Human Rights
Legal Literacy & Awareness Series - 11/2006

गिरफ्तारी

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

गिरफ्तारी

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन

मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार, जागरूकता एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन :-

1. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की पुस्तिका।
2. आयोग की कार्यविधि की जानकारी हेतु ब्रोसर।
3. राज्य आयोग के कार्य एवं उसमें निहित शक्तियां एवं प्रसंज्ञान लेने वाले प्रकरणों की जानकारी संबंधी लघु पुस्तिका।
4. मानवाधिकार संरक्षण लघु पुस्तिका।
5. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2000-2002.
6. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003.

*7. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004.

8. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005.
9. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006.
10. त्रैमासिक न्यूज लेटर संयुक्तांक/विशेषांक- 2005.
11. त्रैमासिक न्यूज लेटर अप्रेल 2006 से जून 2006.
12. लघु पुस्तिकाएं
    - (i) बालकों के अधिकार।
    - (ii) अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर।
    - (iii) एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार।
    - (iv) मानवाधिकार और जैन धर्म।
    - (v) आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
    - (vi) आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
    - (vii) भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
    - (viii) महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी।
    - (ix) दलितों के अधिकार।
    - (x) मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
    - (xi) गिरफ्तारी (Arrest)

©

STATES HUMAN RIGHT CHAIRPERSON NAME, PHONE NO. & ADDRESS LIST

S.No	Chairperson Name	State	Address	Phone No.	E-Mail Address
	Hon'ble Dr. Justice A.S. Anand	NHRC, New Delhi	NHRC, Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi 110001	91-11-23382514	chairnhrc@nic.in
1.	Justice Shri B. Subhashan Reddy	Andhra Pradesh	"Gruhakalpa" M.J. Road, Hyderabad - 500001	040- 24601574	umanrights@ap.nic.in
2.	Justice Shri Sailendu Nath Phukan	Assam	Statfed H.O. Building, Bhangagarh Guwahati - 781005	0361-2527076	hrca@sancharnet.in
3.	Justice Shri Ali Mohammad Mir	Jammu & Kashmir	Dawn Building, Dalgate, Srinagar- 11901	0194- 2454046	
4.	Justice Shri V.P. Mohan Kumar Acting Chairperson	Kerala	M.P. Appan Road, Vazhuthacaud Thiruvananthapuram - 695014	0471- 2337145	kshrctvpm@vsnl.net
5.	Justice Shri D.M. Dharmadhikari	Madhya Pradesh	Paryavas Bhawan, Arera Hills, Jail Road, Bhopal - 462001	0755- 2764505	mphrc@sancharne.in
6.	Shri C.L. Thool Acting Chairperson	Maharashtra	9, Hajarimal Somani Marg, Near CST Railway station, Mumbai- 400001	022- 22078962	
7.	Justice Shri W.A. Shishak	Manipur	Courts Complex, Lamphel, Imphal - 795004	0385 - 2410473	mhrc@man.nic.in
8.	Justice Shri D.P. Mohapatra	Orissa	Orissa State guest house, Room No. 1,2,3,4 Ground Floor, Bhubaneswar, Orissa	0674- 2563746	2405094
9.	Justice Shri R.L. Anand Acting Chairperson	Punjab	SCO No. 20,21,22, Sector 34A, Chandigarh - 160001	0712 - 2600501	
10.	Justice Thiru S. Thangaraj Acting Chairperson	Tamil Nadu	Justice Pratap Singh Maaligai , 2nd floor, No. 35, Vi-Ka-Salai. Royapettah, Chennai – 600014	28114405	
11.	Justice Shri A.P. Mishra	Uttar Pradesh	1/183, Vineet Khand Gomati Nagar, Lucknow - 226010	0522- 2726742	phrc@sancharnet.net
12.	Justice Shri Shymal Kumar Sen	West Bengal	Bhabani Bhawan, Alipore Kolkata - 700027	033 - 24797259	bhrc@cal3.vsnl.net.in
13.	Shri Lal Jayaditya Singh Acting Chairperson	Chhatisgarh	Near Mantralaya, Raipur- 492001	0771 - 2235524	cghrcryp@sify.com
14.	Justice Shri N.K. Jain	Rajasthan	State Secretariat, S.S.O. Building Jaipur-302005	0141- 2227868	rshrc@raj.nic.in

गिरजा व्यास

अध्यक्षा

राष्ट्रीय महिला आयोग

4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

फोन : 91-11-23237166, 23236988

फैक्स : 91-11-23236154, शिकायत प्रकोष्ठ : 91-1123219750

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग

पांचवी मंजिल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110011

श्रीमती तारा भण्डारी

अध्यक्षा

राज्य महिला आयोग

गाँधी नगर मोड, टोंक रोड, जयपुर

श्री एस. एन. गुप्ता

अध्यक्ष

जन अभाव अभियोग निराकरण समिति

मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

अध्यक्ष

राज. राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग

एस. एस. ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर

अध्यक्ष

राज. राज्य अल्पसंख्यक आयोग

शासन सचिवालय, जयपुर

क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवाद/शिकायत पर आयोग द्वारा शीघ्र प्रभावी कार्यवाही हो?

यदि हाँ, तो कृपया अपने परिवाद/शिकायत में यथासंभव निम्न सूचना अवश्य अंकित करें :-

(क) पीड़ित व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, निवास का पता/गाँव/शहर, डाकघर, पुलिस थाना, जिले सहित।

(ख) जिस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरुद्ध शिकायत है, उसका पूरा विवरण।

(ग) शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महीना, वर्ष सहित।

(घ) घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम-पते, यदि ज्ञात हो तो।

(ङ) घटना की पुष्टि करने में दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो तो।

(च) यदि किसी अन्य अधिकारी/कार्यालय/मंत्रालय को शिकायत भेजी हो तो उसका नाम एवं उस पर यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो उसका विवरण।

(छ) क्या आपने पूर्व में इस आयोग या राष्ट्रीय आयोग में इस विषय में कोई शिकायत की है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं परिणाम।

(ज) क्या इस मामले में किसी फौजदारी/दीवानी/राजस्व अदालत में या विभागीय कोई कार्यवाही हुई या लम्बित हैं? हाँ, तो उसका विवरण।

नोट : कृपया परिवाद/शिकायत पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ चिन्ह लगाना नहीं भूलें।

परिवाद/शिकायत अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जयपुर के पते पर भिजवाएं।

आयोग का पुर्नसंगठनात्मक संरचना (06.07.2005)

1.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन	अध्यक्ष
2.	न्यायमूर्ति जगतसिंह	सदस्य
3.	श्री धर्मसिंह मीणा	सदस्य
4.	श्री पुखराज सीरवी	सदस्य
	श्री गिरीराज सिंह	सचिव
	श्री रामजीलाल मीणा	उप-सचिव

आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आयोग का सचिव है। आयोग के अन्वेषण कार्य के लिये महानिरीक्षक स्तर का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त है।

सम्पर्क सूत्र :

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर

टेलीफोन : 0141-2227868 (अध्यक्ष)

2227565 (सचिव), 2227738 (फैक्स)

E-mail : rshrc@raj.nic.in, Website : www.rshrc.nic.in